



सत्यमेव जयते

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीकृत रोजगार सूचना
सीईएन संख्या 06/2025



विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के पदों के लिए भर्ती

विषयसूची

क्र.सं.	पैरा सं.	विषय	पेज सं.
1	महत्वपूर्ण तिथियाँ	महत्वपूर्ण तिथियाँ	4
2	महत्वपूर्ण निर्देश	महत्वपूर्ण निर्देश	4-7
3	1.0	सामान्य अनुदेश	7-10
4	2.0	रिक्तियाँ	10
5	3.0	चिकित्सा योग्यता का मानक	10-11
6	4.0	राष्ट्रीयता/ नागरिकता	11
7	5.0	आयु सीमा	11
8	5.1	अभ्यर्थियों की जन्म तिथि	12
9	5.2	आयु सीमा में छूट	12
10	6.0	शैक्षणिक योग्यता	13
11	7.0	परीक्षा शुल्क	13
12	7.1	शुल्क भुगतान के तरीके	14
13	7.2	अल्पसंख्यक	14
14	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)	14
15	7.4	परीक्षा शुल्क की वापसी	14-15
16	8.0	लंबवत आरक्षण	15
17	8.5	ओबीसी आरक्षण	15-16
18	8.13	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	17-18
19	9.0	क्षेत्रीय आरक्षण	18
20	10.0	भूतपूर्व सैनिक	18-20
21	11.0	मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	20-23
22	11.7	स्क्राइब की सहायता की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशा-निर्देश	23
23	11.7.8	स्क्राइब के लिए पंजीकरण	23-25
24	12.0	वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)	25
25	13.0	भर्ती प्रक्रिया	25-30
26	14.0	आवेदन कैसे करें	30-31
27	14.2	खाता बनाएं	31
28	14.3	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश	31
29	14.4	आवेदन के दौरान उम्मीदवार का लाइव फोटो कैप्चरिंग	31-32
30	14.5	अनिवार्य स्केन किए गए दस्तावेज़	32-33
31	14.6	स्क्राइब की सहायता	33-35
32	15.0	कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)	35
33	16.0	विभिन्न रे.भ.बो. और उनकी वेबसाइटों का विवरण	36
34	17.0	आवेदन में संशोधन	36-37
35	18.0	अमान्य आवेदन/अस्वीकृति	37
36	19.0	ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश	37-38
37	20.0	मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप	38
38	21.0	अनुचित व्यवहार का प्रयोग	38-39
39	22.0	विविध	39-40
40	23.0	सीईएन में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप	40-41

सीईएन सं. 06/2025 विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों -स्नातक

क्र. सं.	अनुलग्नक सं.	विषय	पेज सं.
1	अनुलग्नक - ए	पोस्ट पैरामीटर	42
2	अनुलग्नक-ब	रे.भ.बो. तथा जोन-वार रिक्ति तालिका	43-52
3	अनुलग्नक- I	अजा (एससी)/अजजा (एसटी)अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र प्रारूप	53-54
4	अनुलग्नक- II	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - नॉन -क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रारूप	55
5	अनुलग्नक- II ए	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - नॉन -क्रीमी लेयर उम्मीदवारों द्वारा स्व-घोषणा	56
6	अनुलग्नक- III	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्लू एस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र	57-58
7	अनुलग्नक- III ए	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाणपत्र	59
8	अनुलग्नक- IV	दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफार्मा	60
9	अनुलग्नक- V (ए)	फॉर्म -V दिव्यांग प्रमाणपत्र (अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)	61
10	अनुलग्नक-V (बी)	फॉर्म -VI दिव्यांग प्रमाणपत्र (एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)	62-63
11	अनुलग्नक-V (सी)	फॉर्म -VII दिव्यांग प्रमाणपत्र (फार्म V तथा VI में उल्लेखित के अलावा अन्य मामले में)	64-65
12	अनुलग्नक-V (डी)	स्क्राइब सहायता लेने हेतु घोषणा पत्र	66-67
13	अनुलग्नक-V (ई)	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले का प्रमाण पत्र	68
14	अनुलग्नक-V (एफ)	40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति हेतु घोषणा पत्र	69
15	अनुलग्नक- V (जी)	परीक्षार्थी की शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र	70
16	अनुलग्नक - V (एच)	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए टाइपिंग कौशल परीक्षा छूट हेतु प्रमाणपत्र	71
17	अनुलग्नक- VI	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा	72
18	अनुलग्नक- VI (ए)	नियोजित अधिकारियों (भूतपूर्व सैनिक) के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप	73
19	अनुलग्नक - VII	स्टेशन मास्टर/यातायात सहायक के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नेत्र विशेषज्ञ से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोफार्मा	74
20	अनुलग्नक- VII (A)	सीईएन संख्या 06/2025 के लिए लेसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा के संबंध में स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्व-घोषणा का प्रोफार्मा	75

सीईएन सं. 06/2025 विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों – स्नातक

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 06/2025
विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) पदों की भर्ती

महत्वपूर्ण तिथियां:

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तिथि	04.10.2025
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	21.10.2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	20.11.2025 को 23.59 बजे तक
जमा किये गये आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	22.11.2025
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं(Create an Account)' फॉर्म में भरे गए विस्तृत विवरण और 'रे.भ.बो. चुने (Chosen रे.भ.बो.)' को संशोधित नहीं किया जा सकता है)	23.11.2025 से 02.12.2025
वे तिथियां जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा	03.12.2025 से 07.12.2025

नोट:

- विस्तृत सीईएन-06/2025 रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा (पैरा 16.0 देखें)। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक इन वेबसाइटों पर लाइव किया जाएगा।
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी), कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी), दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की तिथियां समय-समय पर संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित की जाएंगी।
- सीबीटी, सीबीएटी, सीबीटीएसटी और एम्प्लॉयमेंट के परिणाम संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दिनांक **20.11.2025** को 23:59 बजे तक **केवल ऑनलाइन** जमा किए जाने चाहिए।

क्रम सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल	प्रारंभिक वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	01.01.2026 को आयु	कुल रिक्तियां (सभी रे.भ.बो.)
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेषक	6	35400	बी2	18-33	161
2	स्टेशन मास्टर	6	35400	ए2	18-33	615
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	29200	ए2	18-33	3416
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5	29200	सी2	18-33	921
5	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	5	29200	सी2	18-33	638
6	यातायात सहायक	4	25500	ए2	18-33	59
कुल योग (सभी रे.भ.बो.)						5810

रे.भ.बो-वार और रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण **अनुलग्नक बी** में दिया गया है

महत्वपूर्ण निर्देश:

- कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **सीईएन** में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं हैं। **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के**

अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

- (iii) आवेदन केवल आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक-ए (अर्थात, पद-वार मानदंड) और अनुलग्नक- बी (अर्थात आरआरबी-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्ति विवरण) को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इस सीईएन में दर्शाई गई सभी रे.भ.बो. एवं रेल की रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इनमें वृद्धि या कमी हो सकती है।
- (iv) रे.भ.बो. का चयन और पदों के लिए प्राथमिकताएं: उम्मीदवार केवल एक रे.भ.बो. का चयन कर सकते हैं तथा उस चयनित रे.भ.बो. में ही रेलवे जोन/पीयू और अधिसूचित पदों/ कोटियों के लिए अपनी प्राथमिकता इंगित कर सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए इच्छुक और पात्र है। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को आवंटन के समय उपलब्ध रिक्ति के अनुसार केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट रेल जोन/पीयू और पदों/कोटियों के लिए विचार किया जाएगा। यदि कुछ पदों/कोटियों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो उन पदों/कोटियों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार चुने गए विकल्प अंतिम होंगे और कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इस सीईएन के अंतर्गत किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के प्रयास के परिणामस्वरूप उसे आरआरबी और आरआरसी की भर्ती प्रक्रिया और भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (v) उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। रे.भ.बो. पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। रे.भ.बो. द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता/आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।
- (vi) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/ मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)/भूतपूर्व सैनिक के लिए लागू आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों और सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास नियमों और सीईएन में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- (viii) **मेडिकल फिटनेस:** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद(पदों) के लिए चयन कर रहे हैं, उसके लिए वे निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित पद(पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप

से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

- (ix) आयु (01.01.2026 को) : प्रत्येक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा पैरा 5.1 एवं 5.2 में प्रासंगिक अधिकतम आयु छूट के साथ दर्शाई गई है।
- (x) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- (xi) सीबीटी के लिए केंद्र/शहर का आवंटन और परीक्षा की तिथि तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। उम्मीदवारों को सीबीटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि/केंद्र/शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "खाता बनाएँ" चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे अभी भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपने आधार विवरण प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान प्रमाणित कर सकते हैं। यह कार्रवाई किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले किसी भी समय की जानी चाहिए। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सहज प्रक्रिया की सुविधा होगी। यदि आवेदक वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को सत्यापित करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच से गुजरना होगा।
- (xiii) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों से एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही रे.भ.बो. सीईएन के दौरान खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन (अर्थात, सीईएन संख्या 06/2025) के लिए भी लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस CEN के लिए आवेदन भरने से पहले 'खाता बनाएँ' करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार्य नहीं होगा। **खाता बन जाने के बाद 'खाता बनाएँ (Create an account)' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।**
- (xiv) ऑनलाइन आवेदन जमा करने और लागू शुल्क के भुगतान के बाद, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण ('खाता बनाएँ' फॉर्म और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरणों को छोड़कर) में और संशोधन करना चाहता है, तो वह 23.11.2025 से 02.12.2025 तक प्रत्येक अवसर पर 250/- रुपये (वापसी योग्य नहीं) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता/सकती है। **'खाता बनाएँ' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरण बदले नहीं जा सकते।**
- (xv) **02.12.2025 के बाद, रे.भ.बो. आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।**
- (xvi) दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उस रे.भ.बो. के लिए रिक्तियों की 1:1 की दर से रे.भ.बो.- वार की जाएगी। यह सीबीटी में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। **कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।** दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (xvii) नकारात्मक अंकन: सीबीटी में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए @1/3 अंक) होगा।

(xviii) सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।

(xix) प्रतिबंधित वस्तुएँ

संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी, ईयरफोन, ब्लूटूथ समर्थित उपकरण, माईक्रोफोन, हेल्थ-बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राईटिंग पैड, बेल्ट, हैंडबैग, कप, पर्स, कैमरा, पानी बोटल, पैकेज/खुला खाद्य सामग्री आदि केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल ई-कॉल लेटर लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रके अंदर पेन/पेंसिल नहीं लाना है। परीक्षा के दौरान उम्मीदार को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे हाथों या पैरों में मेंहदी न लगाए जिससे बायोमेट्रिक लेने में बाधा उत्पन्न होती है।

महत्वपूर्ण: प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइटें देखें (नीचे पैरा 16.0 में सूचीबद्ध)। नकली वेबसाइटों से सावधान रहें-वे भ्रामक और गलत जानकारी दे सकते हैं।

1.0 सामान्य अनुदेश :

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 1.2 इस अधिसूचना के तहत पद(पदों) के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी/शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताएं हैं। **निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**
- 1.3 जो उम्मीदवार इस सीईएन के तहत पद(पदों) के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और रे.भ.बो. और रेल भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित(डिबार) कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, जो अभ्यर्थी सूचना और/या तथ्यों में मामूली परिवर्तन के साथ एक से अधिक रे.भ.बो. को एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और/या एक ही रे.भ.बो. को एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को रे.भ.बो. और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से भी वंचित(डिबार) कर दिया जाएगा।
- 1.4 ऐसे उम्मीदवार जो वर्तमान में किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी द्वारा वंचित(डिबार) हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान जब भी पता चलेगा उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा।
- 1.5 **ऐसे उम्मीदवार जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**
- 1.6 अभ्यर्थी को खाता बनाते समय ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि जैसा एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/10वीं कक्षा परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में है वही दर्ज करना

चाहिए।

(अ) एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के संबंध में नाम में किसी भी तरह के बदलाव के मामले में, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अपना बदला हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिककुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम अलग से बताना चाहिए। हालाँकि, अन्य सभी विवरण एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिककुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र से मेल खाने चाहिए और ऐसे बदलाव की तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले की होनी चाहिए।

(ब) ऐसे मामलों के लिए, राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, परिवर्तित नाम के साथ किसी एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ, सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- 1.7 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी एक लाइव तस्वीर और पैरा 14.5.1 में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधली, अस्पष्ट या गैर-मानक तस्वीरों और/या हस्ताक्षरों वाले आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार किए जा सकते हैं।
- 1.8 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में एक जैसे होने चाहिए।
- 1.9 सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी और डीवी की तिथियां पैरा 16.0 में दिए गए अनुसार भाग लेने वाले रे.भ.बो. की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित रे.भ.बो. की वेबसाइटों से ही डाउनलोड किए जाने चाहिए, जैसा कि पैरा 16.0 में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी केंद्र, तिथि और पाली अंतिम होगी और तिथि/समय/स्थान में परिवर्तन का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 1.10 सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। रेल द्वारा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पदों को भी बाद में शामिल किया जा सकता है। रे.भ.बो. बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी, अतिरिक्त डीवी आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 1.11 रेल प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, सिवाय उन उम्मीदवारों के जिन्होंने प्रथम चरण सीबीटी में भाग लिया है। (वापसी की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें)।
- 1.12 ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाता कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी रे.भ.बो. द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जाँच की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों की जाँच उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता के साथ-साथ भर्ती के अगले चरणों यानी मेडिकल जाँच/दस्तावेज सत्यापन में की जाएगी।
- 1.13 रे.भ.बो. पात्रता शर्तों का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) केवल तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, रे.भ.बो. ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों से करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति या

पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और साथ ही, ऐसे उम्मीदवारों को रे.भ.बो. और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

- 1.14 **नियुक्ति का अधिकार:** रे.भ.बो. द्वारा चयन से उम्मीदवारों को रेल में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। रे.भ.बो. का कार्य केवल क्षेत्रीय रेल के संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र-वृत्ति सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव जारी करते हैं। श्रेणी/पद/रेल का आवंटन योग्यता, पद वरीयता, चिकित्सा योग्यता और पैनल तैयार होने की तिथि पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। रे.भ.बो. द्वारा श्रेणी/पद/रेल आवंटित किए जाने के बाद, उम्मीदवार उस वेतन स्तर के अंतर्गत किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं।
- 1.15 **पोस्टिंग:** आम तौर पर, एक रेल कर्मचारी को उस रेल या रेल प्रतिष्ठान में पूरी सेवा के दौरान नियुक्त किया जाएगा जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और उनका किसी अन्य रेल या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करना होगा। हालांकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अनिवार्यताओं में रेल कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेल प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है। नव नियुक्त उम्मीदवार द्वारा **कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा** पूरी करने तक अन्य रेल में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रे.भ.बो. का चयन उचित सावधानी और विचार के साथ करें।
- 1.16 चयनित उम्मीदवार, जो अंतिम रूप से नियुक्त होंगे, प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 1.17 चयनित अभ्यर्थियों को रेल/पद में कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यकतानुसार सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।
- 1.18 रे.भ.बो. की चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई त्रुटि/मुद्रण संबंधी गलती की स्थिति में, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, जिसमें पैनल-गठन पश्चात भी शामिल है, रेल में उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी, परिणामों को रद्द/संशोधित करने का अधिकार रे.भ.बो. सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, रे.भ.बो. ऐसे उम्मीदवारों को चयन पैनल से हटाने और रेल से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि वे पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, तो उन्हें रेल सेवा से हटाया जा सकता है।
- 1.19 **निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा:** निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा: केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को (अनुरोध करने पर) निःशुल्क स्लीपर क्लास रेल पास दिया जाएगा। चयन के विभिन्न चरणों, जैसे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएस/डीवी/चिकित्सा परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर के साथ उन्हें उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
रेल आरक्षण और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेल कर्मचारी को मूल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना भी शामिल है।
- 1.20 रे.भ.बो. को किसी भी स्तर पर आवश्यकतानुसार और लागू होने पर सीईएन के तहत भर्ती के किसी भी नियम व शर्त को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।
- 1.21 रे.भ.बो., उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ अपनी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/अस्वीकृति दर्शानी चाहिए।

- 1.22 **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है** कि वे अपने हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और **अंतिम समय में किसी भी तरह की भीड़ से बचें**। अंतिम दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक होने की संभावना के कारण यह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह

10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

ईमेल : rrb.help@csc.gov.in

फोन: 9592001188 / 0172-565-3333

यदि अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अंतिम तिथि तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए रे.भ.बो. जिम्मेदार नहीं होगा।

- 2.0 **रिक्तियाँ:** कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियाँ रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं (तदनुसार संशोधित रिक्ति तालिका प्रकाशित की जाएगी)। विभिन्न पदों के पदवार मानदंड (अर्थात् योग्यता, चिकित्सा मानक और दिव्यांगजनों के लिए पद की उपयुक्तता आदि) इस सीईएन में अनुलग्नक-A में दिए गए हैं और आरआरबी-वार, रेलवे/ पीयू-वार एवं पदवार रिक्ति विवरण अनुलग्नक-B में दिए गए हैं।

- 3.0 **चिकित्सा योग्यता के मानक:** डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षण पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने द्वारा चुने गए (पदों) से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेल सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा योग्यता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं को नीचे रेखांकित किया गया है:

क्र.सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि तीक्ष्णता
1	ए-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/9, बिना चश्मे के 6/9 (कोई फॉगिंग परीक्षण नहीं)। निकट दृष्टि: Sn 0.6, बिना चश्मे के 0.6 और रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और निकट दृष्टि परीक्षण पास करना होगा
2	बी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि: चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 6/9, 6/12 (लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए)। निकट दृष्टि: पढ़ते या नज़दीक से काम करते समय चश्मे के साथ या बिना चश्मे के Sn 0.6, 0.6 और दृष्टि क्षेत्र (दूरबीन दृष्टि) आदि के लिए परीक्षण पास करना आवश्यक है
3	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/12, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के शून्य। निकट दृष्टि: पढ़ने या नज़दीक से काम करने की आवश्यकता होने पर चश्मे के साथ या बिना चश्मे के संयुक्त Sn 0.6

नोट:

- (ए) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को भारतीय रेल मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम(आईआरएमएम)- भाग I के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से

फिट और पात्र हैं।

- (बी) जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे इस सीईएन में ए-2, के चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं हैं।
- (सी) जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या किसी अन्य सर्जरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वे रेलवे बोर्ड के पत्र 2022/एच/5/1/एनईआर/दलबीर दिनांक 25.08.2022 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मेडिकल मानक बी-2, सी-2 वाले पद के लिए पात्र हैं। [अनुलग्नक - VIII पर रखा गया]।
- (डी) भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 511 (7) में वर्णित दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सा मानक, जिसे www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVoll/chapter5.pdf पर देखा जा सकता है।
- (ई) भारतीय रेल मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 में विस्तृत रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानक लागू होंगे, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।
- (एफ) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे अपने द्वारा चुने गए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि उम्मीदवार पद के लिए निर्धारित चिकित्सा योग्यता/मानक में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसे उस पद के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक नियुक्ति भी प्रदान नहीं की जाएगी।
- (जी) यदि कोई उम्मीदवार अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान पद के लिए आवश्यक चिकित्सा मानक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे निर्धारित शुल्क और शर्तों के भुगतान पर चिकित्सा अपील करने का एक अंतिम अवसर दिया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प चुना है, उनके चिकित्सा परीक्षण का परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होगा। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है, उनके प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण के परिणाम पर ही विचार किया जाएगा।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता:

- (a) अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक होना चाहिए:
- भारत का नागरिक हो, या
 - नेपाल का नागरिक हो, या
 - भूटान का नागरिक हो, या
 - तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, या
 - भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास कर आया हो।
 - बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- (b) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

- 5.0 आयु सीमा: रिक्ति तालिका में किसी विशेष पद के लिए दर्शाई गई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01.01.2026 के अनुसार की जाएगी।

5.1 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

क्रम सं.	आयु वर्ग (वर्षों में)	निम्न आयु सीमा (पश्चात जन्मतिथि अमान्य)	ऊपरी आयु सीमा (पूर्व की जन्मतिथि अमान्य)		
		सभी समुदायों/श्रेणियों के लिए	UR/EWS	OBC-NCL	SC/ST
1	18-33	01.01.2008	02.01.1993	02.01.1990	02.01.1988

5.2 आयु सीमा में छूट:- नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू है।

क्र. सं.	समुदाय / श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु	
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार	5 वर्ष	
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवार	3 वर्ष	
3	पूर्व सैनिक(एक्स सर्विसमैन) उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद कम से कम छह माह की निरंतर सेवा पूरी कर ली है	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस)	3 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी-एनसीएल)	6 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (अजा एवं अजजा)	8 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
4	बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	पीडब्ल्यूबीडी - अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	10 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी - ओबीसी (एनसीएल)	13 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी - अजा एवं अजजा	15 वर्ष
5	वे अभ्यर्थी जो रेल में ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत हैं, साथ ही ऐसे स्थानापन्न भी हैं जिन्होंने रेल में लगातार या खंडित अवधि में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है।	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	43 वर्ष की आयु
		अजा एवं अजजा	45 वर्ष की आयु
6	उम्मीदवार जो रेल संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेल कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत हैं	प्रदान की गई सेवा अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो।	
7	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	38 वर्ष की आयु
		अजा एवं अजजा	40 वर्ष की आयु
i)	यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)।		
ii)	अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को कोई आयु छूट नहीं मिलेगी।		
iii)	अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी - उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।		
iv)	पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक(एक्स सर्विसमैन) उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.2 के अनुसार दी जाएगी		

5.3

महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि उनके एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा पास या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि के समान होनी चाहिए। जन्म तिथि में बदलाव के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर **उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा।**

6.0 शैक्षणिक योग्यता :

- (ए) कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए पद-वार पैरामीटर (अनुलग्नक 'ए') देखें।
- (बी) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात 20.11.2025) तक अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सीईएन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए।
- (सी) जो अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें **आवेदन नहीं करना चाहिए।**

नोट: शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों जैसे कि प्रोविजनल या नियमित प्रमाणपत्रों में जारी करने की तिथि होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तिथि अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तिथि के साथ समेकित अंक पत्र या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तिथि के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की अलग-अलग अंक पत्रक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तिथि उपलब्ध नहीं है, तो इस आशय का बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.0 **परीक्षा शुल्क:** अभ्यर्थियों को अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

□□ सं.	उम्मीदवारों के समुदाय / श्रेणियाँ	शुल्क
1	सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रमांक 2 में नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। 500/- रुपये के इस शुल्क में से, प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर, बैंक शुल्क काटकर 400/- रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी।	₹.500/-
2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा।	₹.250/-

नोट: केवल प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी।

*ईबीसी श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: कृपया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने से पहले इस सीईएन के पैरा 7.3 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले उम्मीदवारों के पास **आवेदन भरते समय** वैध दस्तावेज - जैसे ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक III ए) या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रासंगिक विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय उन्हें मूल रूप में जमा करना होगा।

ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक IIIA), बीपीएल कार्ड, या इज्जत एमएसटी या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी प्रमाणपत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि, अर्थात **20.11.2025** के बाद जारी किया गया हो,

स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सीईएन के विरुद्ध आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया वैध दस्तावेज-जैसे ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक IIIए), बीपीएल कार्ड, या इज्जत एमएसटी - प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

- ए) केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- बी) उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- सी) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (20.11.2025) तक प्राप्त संशोधन/हटाने/समावेश के अधीन होंगे।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को (अनुलग्नक IV) के प्रारूप में डीवी के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (ऊपर पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए।

- ए) जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक IIIए के अनुसार) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के वर्तमान संसद सदस्य
- (3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
- (4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री।

या

- बी) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

या

- सी) रेल द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र/ बीपीएल कार्ड / इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और इसे डीवी के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का उम्मीदवार केवल शुल्क में छूट का हकदार है, नौकरी में आरक्षण का नहीं।

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):

- ए) सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य भाग (अर्थात् 400/- रु. या 250/- रु. जो भी लागू हो, बैंक शुल्क घटाकर) प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण (बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, खाता संख्या

और आईएफएससी कोड) स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

- बी) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अपूर्ण है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनका आवेदन अस्वीकृत हो गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- सी) सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और रे.भ.बो. इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।
- डी) गलत/अपूर्ण लाभार्थी विवरण और त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 लंबवत आरक्षण:

- 8.1 यह केंद्रीय रोजगार सूचना (CEN) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) (OBC-NCL) के लिए लंबवत आरक्षण प्रदान करती है, जहाँ भी लागू और स्वीकार्य हो, और जैसा कि मौजूदा नियमों के तहत इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। (रिक्तियों की तालिका में विवरण देखें।)

नोट:

- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं हैं बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं।
 - ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, नौकरी आरक्षण के लिए पात्र हैं।
 - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार (उपरोक्त पैरा 7.3 के तहत परिभाषित) इस आधार पर नौकरी में आरक्षण के हकदार नहीं हैं।
- 8.2 सभी उम्मीदवारों, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, को सामान्य अर्थात् अनारक्षित (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (अनारक्षित के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियाँ केवल उसी समुदाय/श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएँगी। केवल वे समुदाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के लिए पात्र हैं।
- 8.3 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक III (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूपों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।
- 8.4 "क्रीमी लेयर" में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित (अनारक्षित) उम्मीदवार माना जा सकता है, बशर्ते कि वे अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 8.5 "ओबीसी श्रेणी" के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक II) में 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पश्चात नहीं। प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार की जाति ओबीसी की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची (<http://www.ncbc.nic.in>) में सूचीबद्ध होनी चाहिए।

दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अनुलग्नक II में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी देनी होगी, जिसमें कहा गया हो कि वे "आवेदन की अंतिम तिथि तक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं"। ऐसा न करने पर उनका आरक्षण का दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उन्हें अनारक्षित (UR) उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि वे UR उम्मीदवारों पर लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

- 8.6 ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय जापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(निवास) द्वारा संशोधित*" (*इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कोई और संशोधन, यदि कोई हो)।
- 8.7 कृपया ध्यान दें: राज्य सूची में मौजूद ओबीसी, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं (<http://www.ncbc.nic.in> पर नवीनतम सूची के अनुसार) आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।
- 8.8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1052/2021, सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच, दिनांक 21.02.2022 के के आलोक में, वे उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपनी नवीनतम जाति प्रस्तुत करनी चाहिए (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म-II के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-I के अनुसार है या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- VIII के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-II के अनुसार है) जमा करनी चाहिए जो 01.04.2023 के बाद ही जारी की गई हो और साथ ही यह आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य होनी चाहिए।
- 8.9 डॉ भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दिनांक 15.07.2024 का निर्णय, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का समुदाय प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से पान/पनहर/स्वासी/तांती-तंतवा (तांती-तंतवा) जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, जिसमें उनके समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ दिया गया हो। उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय 01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा।
- 8.10 **महत्वपूर्ण:** किसी उम्मीदवार की ऑनलाइन आवेदन में घोषित समुदाय या श्रेणी की स्थिति, आरक्षण लाभों के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करेगी। किसी भी कारण से समुदाय की स्थिति में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।
- 8.11 यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उसके लिए वे पात्र हैं। उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता

सत्यापित नहीं हो जाती।

8.12 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी भी स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की स्थिति का कोई भी धोखाधड़ीपूर्ण दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी। इस तरह की कार्रवाई से सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

8.13 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:**

वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। इस आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इस सीईएन संख्या 06/2025 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 होगा क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 20.11.2025 है। इसके अलावा, जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचान से बाहर रखा जाएगा:

i.5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;

ii.1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

iii.अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv.अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

ए) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

सी) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

डी) उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध

आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि वे सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण:

- 9.1 यह सीईएन पूर्व सैनिकों (एक्सएसएम) और पीडब्ल्यूबीडी के लिए चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।
- 9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, जहाँ दिव्यांग के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) के रूप में अलग से दिखाया गया है, ये अतीत की बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।
- 9.3 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।
- 9.4 इसी प्रकार, दिव्यांग उम्मीदवार किसी पद की नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही उस पद के लिए उनके लिए कोई विशेष रिक्तियाँ आरक्षित न हों, बशर्ते कि वह पद उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त हो। ऐसे मामलों में, वे केवल आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए ही पात्र रहेंगे।
- 9.5 यदि दिव्यांगता की उस श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से दिव्यांग(PwBD) के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
- 9.6 **नोट:** हालाँकि, इस सीईएन में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट दिव्यांगता वाले PwBD उम्मीदवार (जिनके लिए बैकलॉग रिक्तियां निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य दिव्यांगता वाले PwBD उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, जिनके लिए पद उपयुक्त हो। इसके बाद, किसी भी तरह के दिव्यांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवार (जिसके लिए पद उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है) की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के क्रम में उस सीमा तक नियमित (गैर-दिव्यांग) उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक

- 10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल सेवा की हो।

और

ए) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है, चाहे वह उसके स्वयं के अनुरोध पर हो या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो; (या)

बी) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)

सी) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

डी) जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और जिसे ग्रेच्युटी दी गई हो और जिसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सेवा या योग्यता सेवा के खंडित अवधि के लिए पेंशन धारक; (या)

इ) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना

सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं उनके नियंत्रण से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई; (या)
(एफ) वे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह माह से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों;
(या)
(जी) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)
(एच) चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व भर्ती कर्मी जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो जाते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए, दोनों पदों के लिए। यदि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात्, दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, उनके पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ होनी चाहिए।

- जब आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से चयन प्रक्रिया में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्राप्त की है। दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है।

10.3 सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाण पत्र" जमा करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अलावा, पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग'/पूर्ववर्ती समूह 'घ' में उच्च ग्रेड या संवर्ग में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में केवल छूट का लाभ मिलेगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी आगामी नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि

भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होते ही, इस CEN के अंतर्गत आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र दे। इस घोषणा की पावती प्रति, सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

10.6 भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) :

11.1 प्रत्येक पद के सामने, "मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को दर्शाया गया है, जिसमें पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में उप दिव्यांगता का विवरण दिया गया है।

मानक (बेंचमार्क) दिव्यांगता:- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूबीडी) अधिनियम, 2016 (19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी) के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगताएं निम्नानुसार हैं:-

(ए) अंधापन और कम दृष्टि (वीआई);

(बी) बधिर और कम सुनने की क्षमता (एचआई);

(सी) मस्तिष्क पक्षाघात(एलडी), ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता;

(डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

(ई) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगताएं (एमडी)।

11.2 **निर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा इस प्रकार है:

1. शारीरिक अक्षमता:

अ) **गति-संबंधी अक्षमता** (किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के विकार के कारण होती है), जिसमें शामिल हैं—

(ए) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है—

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही वृद्धावस्था जो उसे कोई भी लाभदायक व्यवसाय करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग से मुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(बी) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है;

(सी) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(डी) "मांसपेशी दुर्बलता" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन सूचना का अभाव और

गलत जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसकी विशेषता प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है।

(ई) "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(एफ) **रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी)** और **रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई)** बिना किसी तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के, लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत दिव्यांगता की सभी उप-श्रेणियों के लिए उपयुक्त हैं। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति जिनके साथ अंग संबंधी शिथिलता है, उन्हें लोकोमोटर दिव्यांगता की संबंधित उप-श्रेणी के अंतर्गत कवर किया जाएगा, अर्थात् ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएल, बीएलओए, बीएलए, जैसा भी मामला हो।

ब) **दृष्टि क्षीणता -**

(ए) "अंधापन" का अर्थ ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

- (i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
- (ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; या
- (iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है।

(बी) "कम दृष्टि" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात् -

- (i) बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम या 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक हो, जिसमें सर्वोत्तम संभव सुधार हो; या
- (ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक का कोण बनाती हो।

स) **श्रवण बाधिता-**

(ए) "बधिर" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाक् आवृतियों में 70 डीबी श्रवण हानि है;

(बी) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृतियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता में कमी हो।

द) " 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिस में गला संबंधी लार्यनजेक्टोमी या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक दिव्यांगता**, एक ऐसी स्थिति जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता रखती है, जो दैनिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को कवर करती है,

जिसमें शामिल हैं-

(अ) "विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता" का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात;

(ब) "ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार" का अर्थ है एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रुढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

3. **मानसिक व्यवहार—"मानसिक बीमारी"** का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक गंभीर विकार।

जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या

अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता।

4. दिव्यांगता के कारण -

(अ) दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, जैसे -

- (i) "मल्टीपल स्क्लेरोसिस" का अर्थ है एक सृजनयुक्त, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर स्थित माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे माइलिन का विघटन होता है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं की एक-दूसरे से संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है;
- (ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, मांसपेशियों में अकड़न और धीमी, अस्पष्ट गति से चिह्नित होता है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अधःपतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ा होता है।

(ब) रक्त विकार -

- (i) "हीमोफीलिया" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों में संचारित होता है, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के जमने की क्षमता में कमी या कमी होती है जिससे एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;
- (ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।
- (iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है एक रक्तसंलायी विकार जिसमें दीर्घकालिक रक्ताल्पता, दर्दनाक घटनाएँ और संबंधित उक्त एवं अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएँ होती हैं; "रक्तसंलायी" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

5. बहु-दिव्यांगताएँ (उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) जिनमें बहरापन, अंधापन शामिल है, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में श्रवण और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक, और शैक्षिक समस्याएँ हो सकती हैं। बहु- दिव्यांगता (एमडी) श्रेणी के अंतर्गत, केवल व्यक्तिगत दिव्यांगताओं के संयोजन वाले उम्मीदवार ही पद के लिए पात्र हैं जो स्वतंत्र रूप से पात्र हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

11.3 आरक्षण के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की डिग्री और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र होंगे जो संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (PwBD) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए हैं, उन्हें 14 मार्च 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के नियम 18(1) के प्रपत्र V, VI और VII, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत दिनांक 15.06.2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक V(ए), अनुलग्नक V(बी) और अनुलग्नक V(सी) देखें। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 (जिसे अब निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध बने रहेंगे।

11.4 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (PwBD) ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त PwBD उप-श्रेणी, अर्थात् LD/HI/VI/MD का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में PwBD उप-श्रेणी में बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र, अपनी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DDIII दिनांक 04.01.2021 में दर्शाए गए दिव्यांगता/दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे OA, OL, BL, OAL, DW, AAV, SD, SI आदि) का प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

11.5 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन के समय रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप हों।

11.6 जब रिक्तियाँ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हों और दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक श्रेणी, जैसे कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-असहाय वर्ग, के न्यूनतम अर्हक प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण पैनाल नहीं बनाया जा सकता है, तो समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों में 2 अंक तक की छूट दी जाएगी।

11.7 **स्क्राइब की सहायता की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश :**

11.7.1 दृष्टिहीनता, गति-संचालन दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - BA) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

11.7.2 मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा की अनुमति किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V(जी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(डी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

11.7.3 40% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भी अनुलग्नक V(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद परीक्षा केंद्र पर अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

11.7.4 सभी एक-आंख वाले उम्मीदवार और जिन उम्मीदवारों की दृश्य दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

11.7.5 उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 या 11.7.3 के तहत स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवार और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।

11.7.6 पात्र स्क्राइब को अपने खर्च पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

11.7.7 जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है:

a) यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ पंजीकृत है (कृपया स्क्राइब के पंजीकरण से संबंधित पैरा 11.7.8 देखें)

b) संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध 5-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग ऑन करें, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

c) अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

d) स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।

11.7.8 **स्क्राइब के लिए पंजीकरण:**

a) कोई भी व्यक्ति जो स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे आरआरबी के साथ rrbapply.gov.in पर एक खाता बनाना होगा और अपने खाते के विवरण का उपयोग करके वहां स्वयं को स्क्राइब के रूप में पंजीकृत करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (ओटीआर नंबर) जनरेट की जाएगी और इसे स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।

b) जो उम्मीदवार उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब

सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की जाने वाली पाँच दिवसीय अवधि के दौरान अपना स्क्राइब विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

- c) अभ्यर्थी के साथ आने वाले स्क्राइब को एक अलग ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान प्रमाण साथ लाना होगा।

11.7.9 किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- ए) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य है/हैं। कोई भी उम्मीदवार जो ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य नहीं है, और ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी उम्मीदवार को, यदि वह पहले से ही रेल सेवा में शामिल हो चुका है, बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।
- बी) कोई भी व्यक्ति rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ स्क्राइब के रूप में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य करेगा/करेगी।
- सी) एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों को सहायता नहीं देगा/देगी।
- डी) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता/सकती। स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने उसी परीक्षा के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता की है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- ई) अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- एफ) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही हो। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाया है और स्क्राइब प्रतिरूपणकर्ता पाया जाता है और/या स्क्राइब या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- जी) परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा लाए गए स्क्राइब के किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- एच) परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है/हल कर रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्राइब की सेवाएँ ले रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।

आई) परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब का परिवर्तन:--

- परीक्षा स्थल पर स्क्राइब के परिवर्तन की सामान्यतः अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, विधिवत कारण दर्ज करके परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। नए स्क्राइब को रे.भ.बो. में स्क्राइब के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) प्रिंटआउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 11.7.9 के तहत स्क्राइब के लिए लागू अन्य सभी

मानदंडों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को "स्क्राइब परिवर्तन" फॉर्म और 'स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।

- यदि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो रे.भ.बो. अपने विवेक से एक स्क्राइब नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उम्मीदवार अभी भी स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। रे.भ.बो. द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होगी।

11.7.10. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र अभ्यर्थी, यदि चाहें तो स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

- a) उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट अनुसार, स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।
- b) पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अभ्यर्थी, जो स्क्राइब के उपयोग के पात्र हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जा सकता है, यदि वे चाहें।

11.7.11. स्क्राइब की नियुक्ति संबंधी शर्तें, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी):

रेल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे रे.भ.बो. को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उस समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना उम्मीदवार की पूर्णतः जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

नोट: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि संबंधित रे.भ.बो. को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने/उसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

- (ए) उम्मीदवार को रे.भ.बो. की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (बी) भर्ती प्रक्रिया में प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी)/कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) (जैसा लागू हो) और दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। चयन उपरोक्त भर्ती चरणों के आधार पर, योग्यता के अनुसार किया जाएगा।
- (सी) सभी गतिविधियाँ जैसे सीबीटी, सीबीटीएसटी/सीबीएटी, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा या अन्य कोई भी अतिरिक्त गतिविधि, की तिथि, समय और स्थान रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को यथासमय सूचित किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी गतिविधि को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :-

उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें इसे परीक्षा परिसर के अंदर नहीं लाना चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या वायरलेस संचार का कोई अन्य साधन चालू या बंद मोड में पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई के अलावा उसे रे.भ.बो. परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक से शहर और तारीख की सूचनाएं, ई-कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक/अभ्यास परीक्षण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

13.1 प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) - इस सीईएन 06/2025 के सभी अधिसूचित पदों के लिए सामान्य

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	40	30	30	100

जो अभ्यर्थी लेखक की सुविधा लेने के पात्र हैं, उनके लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।

उपर्युक्त तालिका में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।

प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा स्क्रीनिंग प्रकृति की होगी और सीबीटी के प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार चयन हेतु किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो ओबीसी (एनसीएल)/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभों का लाभ उठाते हुए द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों के लिए केवल ओबीसी (एनसीएल)/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के लिए ही पात्र माना जाएगा।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं:

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुतम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

b. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

c. सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति -30 %, अनुसूचित जनजाति - 25%। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंको की छूट प्रदान की जाएगी।

13.2 द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा :

द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रथम चरण की सीबीटी में उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रथम चरण की सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार आरआरबी के लिए अधिसूचित पदों की समुदायवार रिक्तियों का 15 गुना होगी। हालाँकि, रेलवे सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कुल या किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए इस सीमा को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.2.1 द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए परीक्षा अवधि तथा प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है:

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	50	35	35	120

जो अभ्यर्थी लेखक की सुविधा लेने के पात्र हैं, उनके लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।

प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुतम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

b. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

c. सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपत्र (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

13.2.2 विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति -30 %, अनुसूचित जनजाति - 25%। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

13.2.3 जिन पदों में टंकण परीक्षा/कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा निर्धारित नहीं है, उनके लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों का चयन द्वितीय स्तर के सीबीटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर किया जाएगा । जिन पदों में टंकण परीक्षा/कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा निर्धारित है, उनके लिए उम्मीदवारों का चयन द्वितीय स्तर के सीबीटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों एवं कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

13.2.4 अंकों का सामान्यीकरण: जब भी समान पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में सीबीटी आयोजित की जाती है, तो विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

13.3 कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) द्वितीय चरण की सीबीटी उत्तीर्ण करने के बाद आयोजित की जाएगी (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक का विकल्प चुना है)

अर्हक अंक: उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम 42 अंकों का टी-स्कोर प्राप्त करना होगा। यह समुदाय या श्रेणी अर्थात अजा/अजजा/अपिव-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद सभी उम्मीदवारों के लिए लागू होता है तथा न्यूनतम टी- स्कोर में कोई छूट स्वीकार्य नहीं है।

ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के पदों के लिए विकल्प का चयन किया है, उन उम्मीदवारों के द्वितीय चरण सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक समुदाय अर्थात अनारक्षित, अपिव-एनसीएल, अजा, अजजा तथा ईडब्ल्यूएस (भूतपूर्व सैनिक सहित) के लिए स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के रिक्त पदों की संख्या के 8 गुना के बराबर उम्मीदवार सीबीएटी के लिए लघु सूचीबद्ध होंगे। ऐसे चयन किए गए उम्मीदवारों को सीबीएटी के दौरान मूल प्रारूप में अनुलग्नक VII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मूल दृष्टि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, इसमें विफल होने की स्थिति में उन्हें सीबीएटी में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुलग्नक VII(ए) में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के पद पर विचार करने के लिए उम्मीदवारों को सीबीएटी की प्रत्येक टेस्ट बैटरी

में अर्हता प्राप्त करनी होगी। सीबीएटी में केवल अँग्रेज़ी और हिंदी में प्रश्न और उत्तर के विकल्प होंगे। सीबीएटी में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक मेरिट सूची केवल सीबीएटीमें अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की बनाई जाएगी, जिसमें द्वितीय चरण सीबीटी में प्राप्त अंकों के लिए 70% महत्व (वेटेज) और सीबीएटीमें प्राप्त अंकों के लिए 30% महत्व(वेटेज) होगा।

उम्मीदवारों को प्रश्नों के नमूनों तथा सीबीएटी के अन्य विवरणों के लिए वे आरडीएसओ की वेबसाइट (www.rdo.indianrailways.gov.in ->Directorates->Psycho Technical Directorate ->Guidelines for Aptitude Test) के लिए दिशानिर्देश देखने की सलाह दी जाती है ।

13.4 कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी):

वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, के पदों के लिए अर्हक प्रकृति की टंकण कौशल परीक्षा (टंकण कौशल परीक्षामें प्राप्त अंक मेरिट बनाने के लिए नहीं जोड़े जाएँगे) आयोजित की जाएगी, टंकण कौशल परीक्षाके लिए प्रत्येक समुदाय के लिए रिक्तियों की संख्या के आठ(8) गुना के बराबर उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को केवल **पर्सनल कंप्यूटर** पर संपादन उपकरण और वर्तनी जाँच सुविधा के बिना अँग्रेज़ी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने में सक्षम होना चाहिए। हिंदी में टंकण कौशल परीक्षा के लिए आने वालों के दिशानिर्देशों के लिए कृति देव और मंगल फ्रॉन्ट को पर्सनल कंप्यूटर पर टंकण कौशल परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टंकण कौशल परीक्षा में छूट उन उम्मीदवारों को दी जा सकती है जो नेत्रहीनता / कम दृष्टि, सेरेब्रल पालसी और लोकोमोटर अक्षमता के कारण स्थायी रूप से अक्षम है और 40% से कम स्थायी अक्षमता नहीं है । ऐसे अक्षम पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा, प्रपत्र **अनुलग्नक V(H)**में जारी टंकण कौशल परीक्षा छूट प्रमाणपत्र का स्कैन किया हुआ प्रति टंकण कौशल परीक्षा के आयोजन के पहले संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करनी है । केवल टंकण कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त और टंकण कौशल परीक्षा में छूट प्राप्त पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों का द्वितीय चरण की सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी।

13.5 अधिसूचित पदों के लिए ऊपर दी गई भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सारांश नीचे सारणीबद्ध है ::

क्रम संख्या.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	प्रथम चरण की सीबीटी	द्वितीय चरण की सीबीटी	कौशल परीक्षण की आवश्यकता
1	मालगाड़ी प्रबंधक	5	समस्त पदों के लिए समान	समस्त पदों के लिए समान	-----
2	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	5			कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी)
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5			कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी)
4	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6			-----
5	स्टेशन मास्टर	6			कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी)
6	यातायात सहायक	4			कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी)

नोट:- उपरोक्त सभी पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

13.6 दस्तावेज़ सत्यापन और पैनलीकरण:

- (a) दस्तावेज़ सत्यापन और पैनलीकरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी (जैसा लागू हो) में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता के आधार पर की जाएगी, जो उनके समुदायों के लिए

निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने की शर्त पर होगी। यूआर/ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% है। यह भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों पर भी उनके समुदाय के अनुसार लागू होती है। यदि PwBD के लिए पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों की छूट दी जाएगी।

- (b) सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी (जैसा लागू हो) परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (1:1) के लिए बुलाया जाएगा।
- (c) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात्, बड़े अभ्यर्थी को छोटे अभ्यर्थी की तुलना में उच्च योग्यता दी जाएगी और यदि आयु समान है, तो टाई तोड़ने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) को ध्यान में रखा जाएगा।
- (d) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जन्त कर ली जाएगी।
- (e) उम्मीदवारों का पैनल योग्यता के आधार पर होगा और दस्तावेज़ सत्यापन के सफल समापन और निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगा।
- (f) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन/रे.भ.बो. द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- (g) भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, रे.भ.बो. योग्य उम्मीदवारों की पसंद के अनुसार, योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के अधीन, रेल ज़ोन/उत्पादन इकाई आवंटित करेगा। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार पैनल में शामिल कर लिया जाता है, तो वे अगले प्राथमिकता वाले ज़ोन/यूनिट में अपनी वरीयता के लिए विचार किए जाने के अधिकार को खो देंगे। हालाँकि, रे.भ.बो. प्रशासनिक हित में, उम्मीदवारों द्वारा पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, उम्मीदवार द्वारा चुने गए/न चुने गए रेल ज़ोन/यूनिट आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- (h) कृपया उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि रेल भर्ती बोर्ड केवल संबंधित रेल प्रशासन पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है।
- (i) पैनल में किसी भी कमी या अन्य अनिवार्यताओं की स्थिति में, रे.भ.बो. को आवश्यकता पड़ने पर, योग्यता सूची में नीचे के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। हालाँकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलेगा।

14.0 आवेदन कैसे करें:

14.1	गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
14.2	खाता बनाएं
14.2.1	रे.भ.बो. के साथ खाता बनाएं <ul style="list-style-type: none"> उम्मीदवारों को पहले नीचे पैरा 16 में सूचीबद्ध आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइटों में दिए गए लिंक के माध्यम से इस सीईएन के लिए 'एक खाता बनाना होगा'। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही पिछले रे.भ.बो. सीईएन के लिए खाता बना लिया है, उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए, साथ ही रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करना चाहिए। खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध

	<p>ईमेल आईडी होना चाहिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से दर्ज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाता बनाने के बाद किसी भी सुधार या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14.2	<p>पहचान प्रमाणीकरण सलाह</p> <ul style="list-style-type: none"> उम्मीदवारों को उनके हित में, "खाता बनाएँ" प्रक्रिया के दौरान डिजी लॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सत्यापन आसान और तेज़ हो जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना चुनते हैं, उनकी भर्ती के प्रत्येक चरण में काफ़ी कड़ी और विस्तृत जाँच की जाएगी।
14.3	<p>ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश</p> <p>a) उम्मीदवारों को इस सीईएन के लिए आवेदन करने हेतु केवल आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइट पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करना होगा। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।</p> <p>b) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी और जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना होगा।</p> <p>c) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।</p> <p>d) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात्, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक माध्यम से अपना परीक्षा माध्यम चुनना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।</p> <p>e) विभिन्न रे.भ.बो. या एक ही रे.भ.बो. में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इस सीईएन के अंतर्गत किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।</p> <p>f) आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए गए परीक्षा शुल्क भुगतान के तरीके को चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>महत्वपूर्ण: कृपया इस सीईएन के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के लिए भुगतान के तरीके की प्रामाणिकता और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।</p> <p>g) अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।</p>
14.4	<p>आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग</p> <p>आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के निर्देश:</p> <p>a) उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>b) आवेदन मॉड्यूल आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।</p> <p>c) लाइव तस्वीर वेबकैम या मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे (स्क्रीन के किनारे वाला कैमरा) से ली जा सकती है।</p>

d) पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि आप गैर श्वेत(non-white) गहरे रंगों के वरियाता देते हुए कपड़े पहने।

e) इस उद्देश्य के लिए, उम्मीदवार को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए:

- तस्वीर लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर स्थित हो।
- कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएँ और तटस्थ भाव से सीधे आगे देखें।
- सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो।
- सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा न तो कैमरे के बहुत पास हो और न ही बहुत दूर, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम के बाहर न हो।
- फ़ोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें।
- उम्मीदवार अपनी ली गई फ़ोटो का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे छवि से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे तब तक दोबारा ले सकते हैं जब तक उनका आवेदन जमा न हो जाए।
- इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली तस्वीरों वाले आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।
- भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से मेल खानी चाहिए।
- आँख पूरी तरह से खुली हो अथवा फोटो कैमरे पर न होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण नोट: उम्मीदवारों को पहले से मौजूद मुद्रित या डिजिटल तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी तस्वीर जमा करने पर आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14.5 **ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने के लिए अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़ तैयार रखें।**

निम्नलिखित अपलोड करने की आवश्यकता है

- 1) इस सीईएन के पैरा 14.5.1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में उम्मीदवार के हस्ताक्षर।
- 2) एससी/एसटी प्रमाणपत्र (मुफ्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में

14.5.1 **उम्मीदवार के हस्ताक्षर:** उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:

- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार द्वारा ही लिखे जाने चाहिए।
- सफेद कागज पर काली स्याही की कलम का प्रयोग करें।
- हस्ताक्षर सीधी लिखावट (अर्थात, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षरों में) में होने चाहिए, बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों(Not in capital letter) या असंबद्ध अक्षरों में नहीं। हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश:

- हस्ताक्षरित कागज़ को कम से कम 100DPI के रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें।
- इमेज फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG
- फ़ाइल आकार: 30KB और 49KB के बीच

- इमेज आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई)
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर को एप्लिकेशन फॉर्म: बॉक्स पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर रखा जाना चाहिए
आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई)। हस्ताक्षर छवि इस बॉक्स के भीतर केंद्रित होनी चाहिए

हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों को अस्वीकार करने के आधार:

सीईएन के लिए उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन और उम्मीदवारी, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निम्नलिखित हस्ताक्षर-संबंधी आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:

- गैर-सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग
- हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग नहीं
- सीधी लिखावट के बजाय बड़े अक्षरों (BLOCK या CAPITAL) में हस्ताक्षर
- खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर छवि
- अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर
- हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड करना
- कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त)
- हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी हस्ताक्षर छवि भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करती है।

महत्वपूर्ण: आवेदन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए:

- परीक्षाएँ
- दस्तावेज़ सत्यापन (DV)
- चिकित्सा परीक्षा (ME)
- नियुक्ति

14.5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विवरणों के साथ अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:

- दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए।
- फ़ाइल का आकार 400 केबी से कम होना चाहिए।
- प्रमाणपत्र सुपाठ्य, स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए।
- यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम और मान्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।

14.6 □□□□□□□□ की सहायता

i. स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता

- दृष्टिहीनता, गति-बाधित दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - बीए), और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी श्रेणियों में

मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, यदि अभ्यर्थी चाहें तो, स्क्राइब सहायता के लिए पात्र हैं। (कृपया पैरा 11.7.1 देखें)

- मानक दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के लिए, स्क्राइब की सुविधा केवल किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि अभ्यर्थी के पास लिखने की कोई शारीरिक सीमा है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। (कृपया पैरा 11.7.2 देखें)

अ) प्रमाण पत्र अनुलग्नक V(जी) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।

ब) अनुबंध के अनुसार अंडरटेकिंग का पत्र V (डी) भी परीक्षा केंद्र में जमा किया जाना चाहिए

- 40% से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी (जो RPwDA अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(r) के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई हो रही है, वे भी निम्नलिखित शर्तों पर स्क्राइब सहायता प्राप्त कर सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें)

ए) अनुलग्नक V(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करना, और

बी) अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करना।

- एक-आँख वाले अभ्यर्थी और 40% से कम दृष्टिबाधित अभ्यर्थी दृष्टिबाधित नहीं माने जाते।
- स्क्राइब-योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।
- स्क्राइब-योग्य अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

ii. स्क्राइब चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश

- योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना चाहिए।
- अपने खर्च पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करें।
- यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in (पैरा 11.7.8 देखें) पर पंजीकृत हो।
- संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई पाँच-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके और उसका एकमुश्त पंजीकरण (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को स्क्राइब की पुष्टि के लिए यह OTP दर्ज करना होगा।

नोट: किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले कृपया स्क्राइब के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने के लिए CEN का पैरा 11.7.9 पढ़ें।

iii. स्क्राइब के लिए पंजीकरण

- स्क्राइब के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, जो स्क्राइब के लिए पात्र है, रे.भ.बो. पोर्टल पर rrbapply.gov.in पर होमपेज → स्क्राइब पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर(OTR) नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति होगी।

नोट: स्क्राइब को एक अलग ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय मूल और वैध आईडी प्रमाण सहित अपने साथ रखनी होगी।

iv. स्क्राइब पर लागू शर्तें

स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को इन शर्तों का पालन करना होगा:

ए) केवल वे ही स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। स्क्राइब का अनधिकृत उपयोग और/या प्रतिपूरक समय अयोग्यता का कारण बनेगा, और यदि पहले से नियुक्त हैं, तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

बी) कोई व्यक्ति rrbapply.gov.in पर ओटीआर पंजीकरण पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है।

सी) स्क्राइब एक सीईएन की परीक्षा में केवल एक उम्मीदवार की सहायता कर सकता है।

डी) कोई उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ई) अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।

एफ) उम्मीदवार, स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए ज़िम्मेदार है। किसी भी प्रकार की प्रतिरूपण या झूठी जानकारी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

जी) स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होगा।

एच) यदि किसी भी समय स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देते या हल करते पाया जाता है, तो उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

14.7

भरे गये आवेदन विवरण में संशोधन

पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो उम्मीदवार किसी भी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं ('खाता बनाएँ' फॉर्म और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरणों को छोड़कर) वे प्रति संशोधन ₹250 का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

- 'खाता बनाएँ' फॉर्म और 'चुने गए रे.भ.बो.' में दर्ज विवरण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जा सकते।
- संशोधन विंडो 23.11.2025 से 02.12.2025 तक खुली रहेगी।
- 02.12.2025 के बाद संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सत्यापित कर लें।

15.0

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत कॉमन सर्विसेज सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रबंधित की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। कॉमन सर्विसेज सेंटर की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर जानने के लिए, कृपया फाइंड माई सीएससी (<https://findmycsc.nic.in/csc/>) का लिंक खोलें।

16.0 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए अक्सर रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट		
अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in	चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in	मुंबई www.rrbmumbai.gov.in
अजमेर www.rrbajmer.gov.in	चेन्नई www.rrbchennai.gov.in	मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in
प्रयागराज www.rrbpryj.gov.in	गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in	पटना www.rrbpatna.gov.in
बेंगलुरु www.rrbnc.gov.in	गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in	रांची www.rbranchi.gov.in
भोपाल www.rbbhopal.gov.in	जम्मू श्रीनगर www.rbjammu.nic.in	सिकन्दराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in
भुवनेश्वर www.rbbbs.gov.in	कोलकाता www.rrbkolkata.gov.in	सिलिगुड़ी www.rrbiliguri.gov.in
बिलासपुर www.rbbilaspur.gov.in	मालदा www.rrbmalda.gov.in	तिरुवनंतपुरम् www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

(अ) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी की वैधता प्रदान करने का दायित्व उम्मीदवारों पर होगा।

(ब) महत्वपूर्ण :

- महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचना संबंधित रे.भ.बो. आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।
- हालाँकि, उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल आईडी को पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना होगा, ताकि एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से संवाद भेजा जा सके।
- रे.भ.बो. किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों तथा रे.भ.बो. के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को ध्यानपूर्वक नोट कर लें तथा याद रखें।

17.0 आवेदन में संशोधन:

- ऑनलाइन आवेदन के अंतिम रूप से जमा होने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए रे.भ.बो. को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए रे.भ.बो. को बदला नहीं जा सकता है।
- संशोधन शुल्क सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाना है, चाहे उनका समुदाय और श्रेणी कुछ भी हो।
- यदि कोई अभ्यर्थी अपना समुदाय एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बदलता है, तो उसे

संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- डी) इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूबीडी से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर भूतपूर्व सैनिक/गैर पीडब्ल्यूबीडी आदि में बदल रहा है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ई) ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान पर किसी भी संख्या में दी जाएगी।

एफ) इस केंद्रीय रोजगार सूचना (CEN) के लिए, जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, अर्थात 22.11.2025 (23:59 बजे) के बाद 10 (दस) दिनों तक, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और संशोधन शुल्क के भुगतान की अनुमति होगी। संशोधन विंडो 23.11.2025 से 02.12.2025 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।

18.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

(अ) ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:

- विभिन्न रे.भ.बो. या एक ही रे.भ.बो. में एक से अधिक आवेदन:- ऐसे मामले में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी रे.भ.बो. और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवार की लाइव फोटो लेने के लिए पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 14.5 के तहत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। अभ्यर्थी का नाम किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी की निषिद्ध सूची में होना।
- अभ्यर्थी का नाम किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी की निषिद्ध सूची में होना।
- 18.0(ए) के तहत उपरोक्त पैरा में सूचीबद्ध विचलन सहित कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई जाती है। अन्य अनियमितता।

(ब) अस्वीकृत आवेदन: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण संबंधित रे.भ.बो. की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, साथ ही अस्वीकृति के कारण भी बताए जा सकते हैं जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों के अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को डाक से सूचित नहीं किया जाएगा।

19.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

- (ए) सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी/डीवी शेड्यूल और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक के बारे में जानकारी और विवरण रे.भ.बो. की वेबसाइटों पर दिया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
- (बी) पात्र उम्मीदवार सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और जहां लागू हो, वहां स्क्रीनशॉट के लिए) पैरा 16.0 में दिए गए अनुसार रे.भ.बो. की वेबसाइट से सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।

- (सी) अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- (डी) सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी/डीवी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- (ई) निःशुल्क यात्रा सुविधा:- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो निःशुल्क रेल यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेल पास) होगा। ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके रेल आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना **मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का मूल निर्धारित प्रमाण** साथ रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- (एफ) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, डाइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं), आदि) परीक्षा हॉल में लाना होगा, अन्यथा उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (जी) सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी/डीवी/एमई के दौरान, उम्मीदवारों को एक रंगीन पासपोर्ट फोटो लाना होगा जो सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी/डीवी/एमई की तारीख से दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा भी लागू हो।
- चेतावनी: अभ्यर्थियों को स्व-घोषणा का पैराग्राफ केवल परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सीबीटी, सीबीएटी/सीबीटीएसटी के स्थान पर लिखना होगा, हस्ताक्षर करने होंगे और एलटीआई चिपकाना होगा और परीक्षा समाप्त होने से पहले उसे पर्यवेक्षक को सौंपना होगा। स्व-घोषणा का पैराग्राफ पहले से लिखने और/या बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करने वाले अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
- (एच) आरआरबी उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और सत्र में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

20.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- (ए) डी.वी. के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को डी.वी. के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी भी जमा करानी होंगी।
- (बी) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपनी डीवी तिथि से पहले पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए।
- (सी) सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जहाँ प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहाँ स्व-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहाँ भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में ही होने चाहिए।
- (डी) दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (ई) जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (एफ) जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाना चाहते हैं/या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित/प्रासंगिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाएंगे। प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

21.0 अनुचित व्यवहार का प्रयोग:

- (ए) (क) कोई भी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों

का प्रयोग करते हुए पाया जाएगा जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करने का प्रयास, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या दबाना, गलत जानकारी प्रदान करना या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि, उसे सभी आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [ध्यान दें: 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024" अधिनियम]

- (बी) परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, आरआरबी व्यापक परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करते हैं। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना और सभी आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वंचित करना शामिल है।
- (सी) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित और अनुचित प्रभाव का उपयोग करने पर संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा।
- (डी) चेतावनी: रेल में या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके नियुक्ति का प्रस्ताव देने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटियरों से सावधान रहें। रे.भ.बो. भर्ती के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करता है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

22.0 विविध:

- (ए) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी विसंगति के मामले में, संबंधित रे.भ.बो. को उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (बी) रे.भ.बो. किसी भी अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि करने तथा उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं संचालित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- (सी) रे.भ.बो. किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। रे.भ.बो. इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी भर्ती प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, रे.भ.बो. तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- (डी) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रे.भ.बो. का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रे.भ.बो. द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ई) रे.भ.बो. किसी भी अनजाने/मुद्रण त्रुटि के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनजाने/मुद्रण त्रुटि(यों) के कारण, यदि किसी उम्मीदवार का चयन सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए होता है या परिणाम घोषित होता है, या उसे पैनल में शामिल किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो आरआरबी परिणामों को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे उम्मीदवारों की पैनल में नियुक्ति को भी रद्द/संशोधित कर सकता है और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को मूल आधार माना जाए।

- (एफ) आवेदन के अनंतिम रूप से स्वीकृत होने और सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर प्राप्त होने के बाद, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएं, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी चयनित उम्मीदवार स्थित है। हालाँकि, किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार होने पर, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चेन्नई/ तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएं।
- (जी) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के विरुद्ध जारी किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखते रहें।
- (एच) व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण और उसके बाद आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशित संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

23.0 इस सीईएन में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डीवी = दस्तावेज सत्यापन, एमई=चिकित्सा परीक्षण सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी), सीबीटीएसटी= कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा
आरक्षण/ आयु में छूट कोटी	ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपू-सै. = भूतपूर्व सैनिक, अपिव-सीएल= अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, अपिव-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर, अ. जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अना = अनारक्षित (सामान्य), पीडब्ल्यूबीडी = बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, बैंक = बैंकलॉग रिक्तियां
दिव्यांगता	वीआई = दृष्टि बाधिता (बी=अंधा और एलवी=कम दृष्टि), एचआई = श्रवण बाधिता (डी=बधिर, एचएच=कम सुनने वाला), एलडी = लोको मोटर अशक्ता (ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, ओएएल = एक हाथ और एक पैर, बीएल = दोनों पैर), डीडब्ल्यू = बौनापन, सीपी=सेरेब्रल पाल्सी, एएवी=एसिड अटैक पीडित, एलसी=कुष्ठरोग उपचारित, एम डब्ल्यू = मांसपेशियों की कमजोरी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ) = रीढ़ की विकृति (तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के बिना), एसआई (बिना एन/एल डीएफ) = रीढ़ की हड्डी में चोट (बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के), ओडी = अन्य दिव्यांगता, एमडी = एकाधिक दिव्यांगता, बी=नेत्रहीन, एलवी=कमजोर दृष्टि
रेल जोन	म.रे=मध्य रेल, पू.म.रे=पूर्व मध्य रेल, पू.रे=पूर्व तटीय रेल, पूरे=पूर्वी रेल, सडिक=इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आरसीएफ=रेल कोच फैक्ट्री, आरडब्ल्यूएफ=रेल व्हील फैक्ट्री, उरे=उत्तरी रेल, उमरे=उत्तर मध्य रेल, उपूरे=उत्तर पूर्वी रेल, पूसीरे=पूर्वोत्तर सीमांत रेल, उपरे=उत्तर पश्चिमी रेल, अअमास=अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, दरे=दक्षिणी रेल, दमरे=दक्षिण मध्य रेल, दपूरे=दक्षिण पूर्वी रेल, दपूमरे=दक्षिण पूर्व मध्य रेल, दपरे=दक्षिण पश्चिमी रेल, परे=पश्चिमी रेल, पमरे=पश्चिम मध्य रेल, रे.भ.बो.=रेल भर्ती बोर्ड, आरआरसी=रेल भर्ती प्रकोष्ठ, बीएलडब्ल्यू= बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, सीएलडब्ल्यू= चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीएमडब्ल्यू = डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्य
रेल भर्ती बोर्ड (रे.भ.बो.)	एडीआई = अहमदाबाद, पीआरवाईजे = प्रयागराज, एआईआई = अजमेर, बीसीटी = मुंबई, बीबीएस = भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएलएसपी = बिलासपुर, सीडीजी = चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएस=चेन्नई, एमएलडी=मालदा, एमएफपी =मुजफ्फरपुर, पीएनबीई = पटना, आरएनसी=रांची, एसबीसी= बेंगलुरु, एससी= सिकंदराबाद, एसजीजे=सिलीगुड़ी, टीवीसी=तिरुवनंतपुरम
सामान्य	एलटीआई =बाएँ अंगुठे का निशान, पीएसयू =सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू =उत्पादन इकाई, सीबीएसई =केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीईएन =केंद्रीकृत रोजगार सूचना, आईएफएससी= इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जेपीईजी = जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, केबी =किलोबाइट, एनओसी= अनापति प्रमाण पत्र।

चेतावनी :

- प्रभाव दिखकार या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी ओर से इस हेतु किसी

एजेंट(एजंटो) या कोचिंग केंद्र(केंद्रो) की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किएजाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखें तथा बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा डाली गई फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें।

INDIAN RAILWAYS

सीईएन-06/2025 : पद मापदंड पदवार पैरामीटर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	वेतन	चिकि. मानक.	बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
					वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	35400	बी2	No	डी, एचएच	ओए, ओएल, एम डब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंरु संबंधी शिथिलता), एसआई (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंरु संबंधी शिथिलता)	No	Yes	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
2	स्टेशन मास्टर	6	35400	ए2	No	No	No	No	No	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	29200	ए2	No	No	No	No	No	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5	29200	सी2	एलवी	डी, एचएच	ओएल, बीएल, एम डब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंरु संबंधी शिथिलता), एसआई (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंरु संबंधी शिथिलता)	No	Yes	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष। कंप्यूटर पर अंग्रेजी/हिंदी टाइपिंग में दक्षता आवश्यक है।
5	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	5	29200	सी2	बी, एलवी	डी, एचएच	ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंरु संबंधी शिथिलता), एसआई (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंरु संबंधी शिथिलता)	No	Yes	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष। कंप्यूटर पर अंग्रेजी/हिंदी टाइपिंग में दक्षता आवश्यक है।
6	यातायात सहायक	4	25500	ए2	No	No	No	No	No	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेभबो-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्तियां

अनुलग्नक बी

रेभबो अहमदाबाद

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. से.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	प.रे	4	1	0	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	प.रे	7	3	2	5	2	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	प.रे	21	5	1	6	1	34	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	प.रे	11	3	0	3	2	19	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो अहमदाबाद कुल			43	12	3	15	6	79	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो अजमेर

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. से.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	उ.प.रे	4	0	0	3	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			प.म.रे	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	प.म.रे	8	16	0	24	5	53	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	उ.प.रे	18	9	2	20	10	59	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			प.म.रे	23	14	0	21	6	64	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	उ.प.रे	47	20	8	34	12	121	12	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	उ.प.रे	19	4	2	8	3	36	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			प.म.रे	1	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो अजमेर कुल			121	64	12	111	37	345	34	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो बैंगलोर

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	द.प.रे	5	1	0	3	1	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	द.प.रे	17	4	3	4	8	36	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	द.प.रे	66	17	10	25	16	134	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	आरडब्ल्यूएफ	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	द.प.रे	11	4	2	7	2	26	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	आरडब्ल्यूएफ	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	द.प.रे	14	5	2	6	2	29	2	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0
रेभबो बैंगलोर कुल				115	32	17	47	30	241	23	3	2	3	0	2	0	0	0	0	0

रेभबो भोपाल

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	प.म.रे	2	0	0	2	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	प.रे	3	2	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	प.म.रे	110	43	24	85	29	291	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	प.रे	20	9	0	11	6	46	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	प.म.रे	12	4	1	7	2	26	3	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	प.म.रे	3	1	2	0	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		5	प.रे	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो भोपाल कुल				151	60	27	106	38	382	38	4	3	3	0	2	0	0	0	0	0

रेभबो भुवनेश्वर																					
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी	
2	स्टेशन मास्टर	6	पू.त.रे	7	0	0	0	7	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.त.रे	48	35	18	54	46	201	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	पू.त.रे	9	2	3	2	0	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रेभबो भुवनेश्वर कुल				64	37	21	56	53	231	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रेभबो बिलासपुर																					
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी	
2	स्टेशन मास्टर	6	म.रे	2	0	1	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			द.पू.म.रे	9	5	3	10	3	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	म.रे	6	0	1	3	2	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			द.पू.म.रे	326	119	59	216	80	800	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	द.पू.म.रे	3	1	0	2	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	म.रे	2	1	0	2	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			द.पू.म.रे	2	0	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो बिलासपुर कुल				350	126	64	236	88	864	87	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
रेभबो चंडीगढ़																					
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी	
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	उ.रे	58	22	11	39	15	145	15	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	उ.रे	27	5	5	12	5	54	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
रेभबो चंडीगढ़ कुल				85	27	16	51	20	199	21	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	

रेभबो चेन्नई																				
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	द.रे	0	1	1	4	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	द.रे	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	द.रे	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	सडिक	6	3	1	5	2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	द.रे		44	16	8	29	11	108	11	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	सडिक	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	द.रे		20	10	10	5	5	50	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो चेन्नई कुल				73	31	22	43	18	187	18	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0
रेभबो गोरखपुर																				
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	उ.पू.रे	6	2	0	2	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	उ.पू.रे	26	9	5	17	6	63	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			अ.अ.मा.सं	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	उ.पू.रे	13	5	4	7	3	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			अ.अ.मा.सं	2	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो गोरखपुर कुल				48	16	10	27	10	111	10	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो गुवाहाटी																				
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	उ.सी.रे	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	उ.सी.रे	7	2	1	4	2	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	उ.सी.रे	4	2	1	2	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	उ.सी.रे	7	6	2	8	4	27	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो गुवाहाटी कुल			20	10	4	14	8	56	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो जम्मू-श्रीनगर																				
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	उ.रे	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	डीएमडब्ल्यू	7	2	1	4	1	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	डीएमडब्ल्यू	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			उ.रे	5	1	1	3	0	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो जम्मू-श्रीनगर कुल			15	5	3	8	1	32	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो कोलकाता																						
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी		
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	द.पू.रे	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	स्टेशन मास्टर	6	पू.रे	56	20	10	36	13	135	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			द.पू.रे	10	4	2	6	2	24	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.रे	64	23	11	41	15	154	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	पू.रे	44	20	7	41	16	128	13	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
			द.पू.रे	13	5	2	8	3	31	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	सीएलडब्ल्यू	4	1	0	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			पू.रे	39	14	6	24	9	92	9	9	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			METRO	1	1	1	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			द.पू.रे	25	6	3	12	3	49	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRAFFIC ASSIअ.ज.जा.ANT	4	METRO	25	9	4	16	5	59	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
रेभबो कोलकाता कुल				284	103	46	186	66	685	68	6	5	4	0	2	0	0	0	0	0		
रेभबो मालदा																						
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी		
2	स्टेशन मास्टर	6	पू.रे	15	6	2	9	3	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.रे	181	69	40	115	41	446	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			द.पू.रे	7	2	1	4	1	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	पू.रे	6	4	2	3	1	16	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			द.पू.रे	4	2	1	2	1	10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो मालदा कुल				213	83	46	133	47	522	54	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0		

रेभबो मुंबई

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी	
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	द.म.रे	2	1	0	1	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			प.रे	6	1	1	4	1	13	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	म.रे	17	7	5	11	5	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			द.म.रे	14	2	3	2	3	24	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			प.रे	11	5	0	8	4	28	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	म.रे	29	11	6	20	7	73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			द.म.रे	10	1	1	2	3	17	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			प.रे	95	36	14	60	15	220	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	म.रे	27	10	5	18	7	67	7	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	
			प.रे	13	5	2	8	3	31	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	म.रे	22	7	4	13	5	51	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			प.रे	8	3	2	6	3	22	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो मुंबई कुल				254	89	43	153	57	596	61	8	3	2	0	3	0	0	0	0	0	

रेभबो मुजफ्फरपुर

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.म.रे	8	4	2	5	2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो मुजफ्फरपुर कुल				8	4	2	5	2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो पटना																					
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी	
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.म.रे	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	पू.म.रे	0	6	11	0	0	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	पू.म.रे	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रेभबो पटना कुल				0	10	12	0	1	23	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
रेभबो प्रयागराज																					
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सै.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी	
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	उ.रे	22	10	12	5	3	52	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	बीएलडब्ल्यू	4	3	1	1	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			उ.म.रे	8	2	1	4	1	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	बीएलडब्ल्यू	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			उ.म.रे	12	3	1	5	1	22	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			उ.रे	4	0	2	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो प्रयागराज कुल				51	19	18	16	6	110	11	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो रांची																				
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	पू.म.रे	3	2	1	3	1	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			द.पू.रे	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	द.पू.रे	10	25	0	1	6	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.म.रे	231	86	43	157	58	575	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			द.पू.रे	5	2	0	2	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	पू.म.रे	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			द.पू.रे	4	1	1	2	1	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो रांची कुल				255	118	45	166	67	651	65	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो सिकंदराबाद																				
श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	द.म.रे	15	5	3	8	3	34	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	पू.त.रे	5	3	2	1	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			द.म.रे	28	9	4	15	6	62	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.त.रे	35	20	9	60	13	137	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			द.म.रे	19	9	4	13	8	53	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	द.म.रे	29	10	6	18	8	71	7	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	पू.त.रे	1	1	2	0	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			द.म.रे	13	2	2	4	1	22	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
रेभबो सिकंदराबाद कुल				145	59	32	119	41	396	40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो सिलीगुड़ी

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	पू.सी.रे	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	पू.सी.रे	6	3	1	5	2	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो सिलीगुड़ी कुल			8	4	1	6	2	21	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

रेभबो तिरुवनंतपुरम

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्लूएस	कुल	भूप. सं.	वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक.- वीआई	बैक.- एचआई	बैक.- एलडी	बैक.- ओडी	बैक.- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	द.रे	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेशन मास्टर	6	द.रे	8	8	6	4	1	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मालगाड़ी प्रबंधक	5	द.रे	5	2	5	3	2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	द.रे	4	2	1	2	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो तिरुवनंतपुरम कुल			18	13	13	10	4	58	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सभी रेभबो का कुल योग			2321	922	457	1508	602	5810	580	40	28	35	0	11	0	0	0	0	0

अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती / कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री गाँव/ शहर
..... /जिला/ मंडल..... राज्य/ संघ गाँव/ राज्य क्षेत्र*..... जाति/
जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है:-

- * संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- * संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथ अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- * संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
- * संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- * संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
- * अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती"..... पिता / माता"..... के श्री श्रीमती / कुमारी
..... निवासी गाँव/शहर...../जिला/ मंडल"..... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
.....

को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो जाति जनजाति से
संबंधित हैं, जिसे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक..... से मान्यता प्राप्त है।

3. . श्री/श्रीमती/कुमारी और/ अथवा उसका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल
गाँव/शहर में सामान्यतः निवासी करता है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पदनाम

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

* लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

@कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति / जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

(1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टैंडिंग मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों। (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है। (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक / प्रशासक के सचिव (लक्ष्यदीव , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

INDIAN RAILWAYS

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकारके अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कुमारी -----सुपुत्र/सुपुत्री -----
----- गाँव/शहर -----जिला/मंडल -----
-----राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -----समुदाय से सम्बन्ध रखता है,
जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. -----दिनांक-----
-----के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी/-----और/अथवा उसका परिवार -----
-----राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/मंडल-----
में सामान्यतः निवास करता/करती है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी), दिनांक 08.09.1993 कि अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013 - स्थापना (आरईएस), दिनांक 13.09.2017 द्वारा संशोधित , के अंतर्गत नहीं आता है ।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट/उप.आयुक्त /सभी
सक्षम अधिकारी

(मुहर)

- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकारके उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार कि जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है ।

** समय-समय पर यथा संशोधित ।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कि धारा 20 के अनुसार ही होगा ।

- जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों और उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा स्व-घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 06/2025 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा (नॉन क्रिमिलियर) वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय
प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री.....

..... श्री

गाँव/शहर/.....

जिलाराज्यएतद द्वारा घोषणा

करता हूँ/करती हूँ कि मैंसमुदाय (अपनी जातिका उल्लेख करें),
जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एसटीसी), दिनांक
08.09.1993 में अंतर्विष्ट आदेशो के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा
वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है । यह भी घोषणा करता हूँ /आरती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय जापन
08.09.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय जापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना -(आरईएस) दिनांक 27.05.2013
तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गों (क्रिमिलियर) के अंतर्गत नहीं
आता/आती हूँ ।

स्थान:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर :

दिनांक

उम्मीदवार का नाम :

रे.भ.बो. रजिस्ट्रेशन/रौल संख्या

सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्लू एस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र क्र दिनांक

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____, ग्राम/मोहल्ला _____ डाकघर
_____ जिला
_____ राज्य _____/संघशासित प्रदेश
_____ पिन कोड _____ के मूल निवासी है , जिनकी फोटो निचे

अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, क्योंकि वित्तीय वर्ष _____ में उनकी/उनके परिवार ** की सकल वार्षिक आय * 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये केवल) से कम है। उनके /उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी सम्पत्ति *** नहीं है।

- I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
- III. अधिसूचित नगर्पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के आलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड

2. श्री /श्रीमती /कुमारी _____ उस जाति से सम्बंधित है , जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का	कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर _____
नवीनतम पासपोर्ट	कार्यालय _____
आकार का	नाम _____
अनुप्रमाणित फोटो	पद का नाम _____

नोट 1: आय के अन्तर्गत सभी श्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादी शामिल है।

** नोट 2: एस उदेश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 स्सल के कम उम्र के भाई बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 साल से कम उम्र बच्चे शामिल है।

*** नोट 3: ईडब्लूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या सम्पति धारण परिक्षण को लागू करते समय बिभिन्न स्थानों या शहरों/शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई सम्पति को जोड़ गया है।

- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों
- (iv) उप मंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

INDIAN RAILWAYS

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) संख्या 06/2025 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े(ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफोर्मा

प्रमाण पत्र संख्या.....

1. उम्मीदवार का नाम : -----
2. पिता का नाम : -----
3. आयु : -----
4. आवासीय पता : -----
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) : -----

दिनांक : -----

हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष रु. 50000/- रुपये से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कि पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत है :

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए।
- (3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
- (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) संख्या 06/2025 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय आर्थिक रूप अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफोर्मा

मैं -----सुपुत्र/सुपुत्री श्री -----
 -निवास गाँव/शहर/नगर -----जिला-----राज्य-----
 --एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ----- (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) इंगित करे) से संबद्ध रखता हूँ /रखती हूँ।

दिनांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान : उम्मीदवार का नाम :

नोट : दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा फीस कि छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज कत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय सम्बन्धी घोषणा/हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) के अंतर्गत आता है।

फॉर्म -V

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकर का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती.कुमारीसुपुत्र / पत्नी/सुपुत्रीजन्म तिथि (दिनांक /महिना/वर्ष).....पुरुष/महिलापंजीकरण संख्यास्थायी निवासी मकान संख्यावार्ड/गाँव/गलीडाकघरजिलाराज्य.....का ध्यानपूर्वक परिक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि

a. यह मामला :

- लोकोमोटर अपंगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता

(जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगाये)

(ख) उसकी अपंगता का निदान

(1) दिशानिर्देशो (दिशानिर्देश जारी की गई संख्या तथा दिनांक उल्लेख किया जाय) के अनुसार उसके (शारीर का हिस्सा) के सम्बन्ध में% (आंकड़े में)प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोको मोटर दिव्यांगता /बौनापन /अंधापन है।

(2) आवेदक ने निवास के सुबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्रमाणपत्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VI
दिव्यांग प्रमाणपत्र
(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)
(नियम 18(1) देखें)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही
में खीचा हुआ पासपोर्ट
आकर का प्रमाणित फोटो
(जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या दिनांक.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री /श्रीमति /कुमारी
सुपुत्र /पत्नी /सुपुत्रीजन्म तिथि (तारीख /महिना /वर्ष).....पुरुष /महिलापंजीकरण संख्यास्थायी निवासी
मकान संख्यावार्ड /गाँव /गलीडाकघरजिलाराज्यका ध्यानपूर्वक परीक्षण कर
लिया है , जिसका फोटो ऊपर चिकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि :
(क) वह एक से अधिक अपंगता से ग्रस्त है। उसकी अस्थाई शारीरिक बाधा/अपंगता की सीमा का नीचे चिन्हित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शायी गई अपंगता का
दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है:

क्रमांक	दिव्यांगता	शारीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक हानि/ मानसिक दिव्यांगता(% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्विकास			
3	कुष्ठरोग उपचारित			
4	बोनापन			
5	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड हमले के शिकार			
7	कमजोर दृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	बधिर	£		
10	श्रवण बाधिता	£		
11	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
14	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक रोग			
16	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
17	मल्टिपल सिरोसिस			
18	पार्किंसन रोग			
19	अधिरक्तसाव			
20	थेलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त के आलोक में दिशानिर्देशों(दिशानिर्देश जजारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि, इस प्रकार है:

अंकों में% शब्दों मेंप्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पूनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) अनुसंधित है/.....वर्षमहिना के बाद और इसलिए यह प्रमाणपत्र(दिन/माह/वर्ष) तक देय रहेगा ।

(@) अर्थात बायाँ/ दायाँ / दोनों हाथ /पैर, # अर्थात एक आंख/ दोनों आंख, £ अर्थात बायाँ/ दायाँ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

--	--	--

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर व मुहर :

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में
दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

INDIAN RAILWAYS

फार्म-VII
दिव्यांग प्रमाणपत्र
(फार्म-V व VI में उल्लिखित के आलावा अन्य मामलों में
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 18(1) देखें)

प्रमाणपत्र सं.

दिनांक.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री / श्रीमती /कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री

जन्म तिथि (तारीख/माह/वर्ष).....आयु वर्ष पुरुष/महिला पंजीकरण सं.

स्थायी निवासी मकान नं. वार्ड / वार्ड/गांव/गली पोस्ट ऑफिस..... जिला..... राज्य..... जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और मैं आश्वस्त हूँ कि उनका मामला अपंगता का है। उनकी शारीरिक बाधिता / अपंगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार(..... संख्या और दिशा- निर्देशों के जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) किया गया है और इन्हें नीचे तरीका में उल्लिखित संबंधित अपंगता के सामने दर्शाया गया है:-

क्र. सं	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता /मानसिक पंगता (% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मांसपेशिय दुर्विकास			
3	कुष्ठरोग उपचारित			
4	मस्तिष्क पक्षाघात			
5	एसिड हमले के शिकार			
6	कमजोर दृष्टि	#		
7	बधिर	£		
8	श्रवण बाधिता	£		
9	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
12	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक रोग			
14	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
15	मल्टीप्ल सिरोसिस			
6	पार्किन्सन रोग			
17	अधिररक्तस्त्राव			
18	थेलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(जो अपंगता लागू न हो उसे काट दें)

(ख) उपरोक्त के आलोक में दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि, इस प्रकार है:

अंकों में.....% शब्दों मेंप्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है /सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पूनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) अनुसंधित है/.....वर्षमहिना के बाद और इसलिए यह प्रमाणपत्र(दिन/माह/वर्ष) तक देय रहेगा।

@) अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

अर्थात् एक आँख /दोनों आँखें

£ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम व मोहर)

प्रतिहस्ताक्षरित/(CMO/चिकित्सा अधीक्षक के परत हस्ताक्षर और मुहर) सरकारी अस्पताल के अधीक्षक /प्रमुख, यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है (मुहर के साथ)		(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान, जिसके पक्ष में
अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी - प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही
वैध होगा। प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E),दिनांक 31.12.1996 को प्रकाशित किया गया था।

INDIAN RAILWAYS

स्क्राइब सहायता लेने हेतु घोषणा

नोट: 1. दृष्टिहीनता, गति-बाधित दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - मंदबुद्धि) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो, उन्हें स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(D) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

2. अन्य श्रेणी के मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, संबंधित व्यक्ति के लिए किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जिसमें यह उल्लेख हो कि उसके लिए परीक्षा लिखने और लिखने में शारीरिक अक्षमता है, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जा सकती है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(D) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकता है।

3. 40% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(r) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी अनुलग्नक V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(F) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लिपिक की सहायता ले सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर.....
3. सीबीटी का नाम.....
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक
5. दिव्यांगता का प्रकार
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब का जन्म तिथि
8. स्क्राइब के पिता नाम
9. स्क्राइब का पता
- (a) स्थायी पता
- (b) वर्तमान पता

स्क्राइब का हाल ही में खिंचाया हुआ पासपोर्ट आकार का 3.5 मिमी X 4.5 मिमी का रंगीन फोटो (जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो)

10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता
11. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ सम्बन्ध
12. घोषणा :

- (i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त व्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवार के आचरण के बारे में रेल भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते हैं।
- (ii) हमलोग यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि स्क्राइब कि स्क्राइब इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि अन्यथा पाए जाने पर हम दोनों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- (iii) हम घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है/ नहीं करेगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

(स्क्राइब का हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान

उपर्युक्त बॉक्स में स्क्राइब के बाएं अंगूठे का निशान

वीक्षक का हस्ताक्षर

INDIAN RAILWAYS

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले, विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री , निवासी(गाँव/डाकघर/डाकघर/जिला/राज्य), आयुवर्ष, एक व्यक्ति (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) की परीक्षा ली है, और यह बताना है कि उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा आ रही है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी कृत्रिम अंग और ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट करें) जैसे सहायक उपकरणों और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए लिपिक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक हैं।
3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होने पर कम से कम वैध है)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..... अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान:

दिनांक:

40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा लिखित वचन पत्र
जिसे लिखने में कठिनाई हो

यहाँ स्क्राइब का हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो, चिपकाएँ (रंगीन चित्र दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।)

ऊपर दिए गए बॉक्स में स्क्राइब का हस्ताक्षर
(अर्थात् फोटोग्राफ के नीचे वाले बॉक्स में)

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र।

1. मैं ----- (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक अभ्यर्थी हूँ जो ----- (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका रोल नंबर ----- (केंद्र का नाम) जिले में ----- (राज्य का नाम) पर है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।
2. मैं इसके द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि ----- (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता ----- है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों के अपने अधिकार खो दूँगा/दूँगी।
4. रे.भ.बो. के साथ मेरा वनटाइम स्क्राइब पंजीकरण क्रमांक (ओटीआर) है...

उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार नाबालिग है, तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

परीक्षार्थी की शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने, श्रीमान/सुश्री/श्रीमती (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम),

दिव्यांग व्यक्ति (दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित), पुत्र/पुत्री , निवासी (गाँव/जिला/राज्य) की जाँच की है और यह बताया है कि उनकी शारीरिक अक्षमताएँ हैं जो उनकी दिव्यांगता के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा डालती हैं।

हस्ताक्षर

किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम एवं पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम और मुहर

स्थान:

दिनांक:

नोट: प्रमाणपत्र संबंधित विषय/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे, दृष्टिबाधित - नेत्र रोग विशेषज्ञ, गतिबाधित विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर).

बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए टाइपिंग कौशल परीक्षण से छूट हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र सं..... दिनांक:.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री *पुत्री/पुत्र *कुमारी/श्री/

आयु लिंग

पुरुष/महिला जिनके पहचान चिन्ह नीचे दिये गये हैं/

:निम्न श्रेणी की स्थायी विकलांगता से ग्रस्त हैं

- (i) लोकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी: फोटो के नीचे बॉक्स में उम्मीदवार के
- (ii) बीएलदोनों पैर प्रभावित, लेकिन हाथ नहीं।
- (iii) बीएकड में कमजोरी(बी) पहुंच में कमी(ए) :दोनों हाथ प्रभावित-
- (iv) ओएलअटैक्सिक(सी) पकड़ में कमजोरी(बी) पहुंच में कमी(ए) (दायां या बायां) एक पैर प्रभावित-
- (v) ओएलअटैक्सिक(सी) पकड़ में कमजोरी(बी) पहुंच में कमी(ए) (दायां या बायां) एक हाथ प्रभावित-
- (vi) बीएच(बैठ या झुक नहीं सकते) पीठ और कूल्हे में अकड़न-
- (vii) एमडब्ल्यूमांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।-

B.अंधापन या कम दृष्टि: (C) श्रवण बाधित:

(i) बी-ब्लाइंड (ii) पीबी-आंशिक रूप से अंधा (i) डी-बधिर(ii) पीडी-आंशिक रूप से बधिर

(जो भी श्रेणी लागू न हो उसे हटा दें)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री/कुमारी अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण कौशल परीक्षा देने में असमर्थ होने के कारण, अर्थात् (जो भी लागू हो, श्रेणी बताएं) को टंकण कौशल परीक्षा से छूट दी जाए।

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनः मूल्यांकन अनुशंसित नहीं है।/..... वर्ष. महीने की अवधि के बाद अनुशंसित है।

3. उसके मामले में विकलांगता का प्रतिशत % है।

4. श्रीमती/श्री/कुमारी*निम्नलिखित शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करती हैं:

- (i) एफ-उंगलियों से छेड़छाड़ करके काम कर सकते हैं। हां नहीं
- (ii) पीपी-खींचकर और धकेलकर कार्य कर सकता है। हां नहीं
- (iii) एल-उठाकर कार्य कर सकते हैं। हां नहीं
- (iv) के.सी.-घुटने टेककर/झुककर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- (v) बी-झुककर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- (vi) एस-बैठे-बैठे काम किया जा सकता है। हां नहीं
- (vii) एसटी-खड़े होकर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- (viii) W-पैदल चलकर काम किया जा सकता है। हां नहीं
- (ix) एसई-देखकर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- (x) H-सुनकर/बोलकर कार्य कर सकते हैं। हां नहीं
- (xi) आरडब्ल्यू-पढ़कर और लिखकर काम कर सकते हैं। हां नहीं

सदस्य, मेडिकल बोर्ड सदस्य, मेडिकल बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते

स्थान :

चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल प्रमुख/सीएमओ/
के प्रतिहस्ताक्षर (मुहर सहित)

दिनांक:

यहां अपनी विकलांगता को दर्शाते हुए हाल ही में खींची गई रंगीन तस्वीर चिपकाएं (तस्वीर मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए)

हस्ताक्षर

नोट: (i) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 18 (1) 2017 के अनुसार, जिसे दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2017 की उप-धारा (i) और (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 14.03.2024 को अधिसूचित किया गया है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक मेडिकल बोर्ड होगा। राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति गति/श्रवण और वाणी के आकलन के लिए विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। (ii) जिनकी दिव्यांगता अस्थायी है, उनके लिए प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जिन लोगों ने स्थायी दिव्यांगता प्राप्त कर ली है, उनके लिए वैधता को स्थायी के रूप में दिखाया जा सकता है।

पूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत नागरिक रोजगार के सम्बन्ध में पूर्व सैनिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं भलीभांति जानता हूँ कि इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) द्वारा की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहूँगा, यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय असैनिक रोजगार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय /साविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ उठाकर रोजगार मिला है।

मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ :

- ए) मैंने सीईएन के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई असैनिक रोजगार प्राप्त नहीं किया है।
- बी) मैंने असैनिक रोजगार में नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सीईएन में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व घोषणा /वचन दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व घोषणा /वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

स्थान :

हस्ताक्षर:

दिनांक

नाम:

रोल नंबर :

नियोजित अधिकारियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती जो (इकाई/कार्यालय) में (रैंक) पर कार्यरत हैं, ने विज्ञापन संख्या दिनांक जैसा कि (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापित किया गया है, के तहत पद के लिए आवेदन किया है।
2. मैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/कुमारी/श्रीमती (नाम) संख्या (रैंक) के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूँ:
 - i. वह अन्य शर्तों को पूरा करने पर, अनापत्ति प्रमाण पत्र की तिथि को सेवा के वर्ष (शब्दों में) और सैन्य सेवा छोड़ने के समय सेवा के वर्ष (शब्दों में) पूरे कर लेगा/लेगी।
 - ii. उसे पद पर चयनित होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

कमांडिंग ऑफिसर:

(हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय मुहर

स्टेशन मास्टर/ यातायात सहायक के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा
नेत्र विशेषज्ञ से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी प्रपत्र

मैंने श्रीमतीकुमारी/श्री/.....
जिन्होंने रेलवे में स्टेशन मास्टर/ यातायात सहायक के पद के लिए आवेदन
किया है। रेलवे में नियुक्ति के लिए आवश्यक निम्नलिखित मानकों के
मद्देनजर उनकी दृष्टीकलर विजन की ए/क्टिविटी का परिक्षण किया गया है।

उम्मीदवार का स्वयं-सत्यापित
नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
चिपकाएं जो एक महीने से अधिक
पुराना न हो

उपर्युक्त बॉक्स में फोटो के नीचे
उम्मीदवार का हस्ताक्षर

पद	वर्ग	दूरदृष्टि	निकटदृष्टि	रंगदृष्टिशिहारा
स्टेशन मास्टर/ यातायात सहायक	A-2	6/9, 6/9 बिना चश्मे के (कोई फॉगिंग परीक्षण नहीं)	Sn 0.6/0.6 चश्मे के बिना	सामान्य

श्रीमती/श्री/कुमारी स्टेशन मास्टर/ यातायात सहायक के पद के लिए लागू उपरोक्त दृष्टि मानकों के पूर्णतः
अनुरूप है।

नोट: जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी त्रुटि को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या किसी अन्य सर्जरी प्रक्रिया
से गुजरा है, वे मेडिकल मानक ए-2 वाले पद के लिए पात्र नहीं हैं।

स्थान :
दिनांक:

नेत्र विशेषज्ञ के हस्ताक्षर.....
नेत्र विशेषज्ञ का नाम.....
नेत्र विशेषज्ञ की पंजीकरण सं.....
नेत्र विशेषज्ञ की

मुहर.....

सीईन संख्या 06/2025 के अंतर्गत लेसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा के संबंध में स्टेशन मास्टर/ यातायात सहायक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा का प्रारूप

मैं श्री / श्रीमती / कुमार
 पुत्र/पुत्री
 निवासी..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ
 कि मैंने लेसिक या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं कराई है।

मैं यह भी सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मुझे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे में सभी भर्ती से वंचित कर दिया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर :

नाम :

आरआरबी पंजी सं.....:

केवल उम्मीदवारों की जानकारी के लिए

लेसिक सर्जरी से गुजर चुके उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस

विवरण	चिकित्सा परीक्षण श्रेणी	टिप्पणी
उम्मीदवार जिन्होंने LASIK सर्जरी करवाई है	ए1 ए2 ए3	अयोग्य
	बी1 और बी2	"उपयुक्त" निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन: 1. उम्मीदवार में LASIK सर्जरी के बाद LASIK सर्जरी से संबंधित कोई जटिलता नहीं देखी गई है। 2. लेसिक सर्जरी कम से कम एक वर्ष की अवधि की होनी चाहिए और इसकी पुष्टि उस संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र से होनी चाहिए जहां सर्जरी की गई थी। 3. लेसिक सर्जरी के बाद "अवशिष्ट कॉर्नियल मोटाई" पैकीमेट्री पर 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। 4. आईआरएमएम खंड I, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 512(1) (ए) के अनुसार दृश्य तीक्ष्णता। 5. फंडस सामान्य होना चाहिए। 6. प्रगतिशील नेत्ररोग का कोई सबूत नहीं।
	सी1 और सी2	"उपयुक्त"